अध्याय-सात
अन्य कर एवं गैर कर प्राप्तियां

7.1 कर संचालन

इस अध्याय में विद्युत क्षेत्र से सम्बंधित परियोजनाओं, खनन, उद्योग, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण विभागों की प्राप्तियों का समावेश है। कर संचालन प्रत्येक विभाग हेतु पृथक रूप से बनाए गए अधिनियमों एवं नियावलियों द्वारा विनियमित किया जाता है।

7.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2012-13 में लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित 35 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 93 मामलों में ₹520.85 करोड़ की राशि को सरकारी राजस्व खाते में व्यपगत निक्षेपों का कम क्रेडिट करना/ क्रेडिट नहीं करना तथा अन्य अनियमितताएं दिखाई जो निम्नवत् श्रेणियों के अन्तर्गत पड़ती हैं, जैसा कि **तालिका 7.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 7.1

(₹ करोड़)			
क्रमांक	**श्रेणियां**	**मामलों की संख्या**	**राशि**
1.	सरकारी राजस्व खाते में व्यपगत निक्षेपों को क्रेडिट न करना/कम क्रेडिट करना	25	7.06
2.	अन्य अनियमितताएं	68	513.79
योग		**93**	**520.85**

विभाग ने वर्ष के दौरान 37 मामलों में ₹511.17 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की, जिन्हें विगत वर्षों में इंगित किया गया था। वर्ष 2012-13 के दौरान 11 मामलों में ₹242.98 करोड़ की राशि वसूल की गई।

₹494.55 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कुछ निदर्शी मामलों की निम्नवत् परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

क. बहुद्देशीय परियोजनाएं तथा विद्युत विभाग

7.3 विद्युत शुल्क को सरकारी खाते में जमा न करवाना

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1975 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) द्वारा उपभोक्ताओं को संभरित की गई उर्जा पर विद्युत शुल्क उद्ग्राह्य होता है। पूर्वोक्त नियमावली के अंतर्गत संभरित की गई उर्जा के लिए मासिक बिलों में बोर्ड द्वारा संग्रहीत किया गया शुल्क प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक रूप से अर्थात् अप्रैल तथा अक्तूबर में सरकारी खाते में जमा करवाया जाएगा। सरकारी खाते में विद्युत शुल्क जमा न करवाने/विलंब से जमा करवाने के लिए ब्याज/शास्ति का उद्ग्रहण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा ने मुख्य विद्युत निरीक्षक के कार्यालय से सूचना एकत्रित की तथा पाया (अप्रैल 2013) कि बोर्ड द्वारा 30 सितम्बर, 2012 तक वसूल किया गया ₹514.41 करोड़ का विद्युत शुल्क मार्च 2013 तक देय था, जिसके प्रति बोर्ड द्वारा 02 अप्रैल 2012 को ₹21.01 करोड़ जमा करवाए गए थे। बोर्ड द्वारा ₹493.40 करोड़ के विद्युत शुल्क की बकाया राशि अप्रैल 2013 तक जमा नहीं करवाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹493.40 करोड़ की राशि के विद्युत शुल्क को सरकारी खाते में जमा नहीं करवाया गया। इस प्रकार विद्युत शुल्क को विलंब से जमा करने/ जमा ना करने के लिए ब्याज/शास्ति का उद्ग्रहण करने के लिए कोई प्रावधान न होने के कारण बोर्ड सरकारी देयों की अदायगी देय तिथियों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छानुसार कर रहा था। यदि बोर्ड देय तिथियों पर अदायगियां करता तो सरकार 8.42 *प्रतिशत* की दर (उधार दरें) पर उठाए गए ऋणों पर ₹34.06 करोड़ की न्यूनतम ब्याज दायिता से बच सकती थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित करने (अप्रैल 2013)पर मुख्य विद्युत निरीक्षक ने सूचित किया (जून 2013) कि इक्विटी तथा टैरिफ प्रत्यापन्नता के रूप में विद्युत शुल्क के प्रति (अक्तुबर तथा नवम्बर 2012 के मध्य) ₹240.00 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन व संस्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की गई कि बिना किसी रोकड़ लेन-देन के प्रति क्रेडिट के माध्यम से समस्त राशि सम्बंधित राजस्व शीर्ष को अन्तरित की जाएगी। सरकार की कार्रवाई ने वित्तीय नियमावली के प्रावधानों की उपेक्षा की थी जिनमें इसके साथ-साथ यह कहा गया कि सरकारी प्राप्तियों का व्यय हेतु सीधा उपयोग तथा सरकारी खाते में इनका जमा न करना वित्तीय नियमावली का उल्लंघन था। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

सरकार को मामला मई 2013 को प्रेषित किया गया । उनके उत्तर अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

ख. उद्योग विभाग

7.4 अनिवार्य भाड़ा तथा ब्याज की वसूली न करना/ अल्प वसूली करना

हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) संशोधित नियमावली, 1971 के अनुसार पट्टा क्षेत्र का अनिवार्य भाड़ा[1] अथवा पट्टा क्षेत्र से निष्कासित खनिजों से देय रॉयल्टी जो भी अधिक हो, पट्टाधारी द्वारा देय होगी। भारत सरकार, खनिज मन्त्रालय ने अधिसूचना दिनांक 13 अगस्त 2009 के द्वारा निम्न मुल्य खनिजों के लिए 13 अगस्त 2009 से चार वर्षों से अधिक की अवधि के लिए पट्टों के संदर्भ में अनिवार्य भाड़े की दरों का संशोधन ₹400 से ₹1,000 प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष किया था। अदायगी की देय तिथि से 60 दिन से अधिक अवधि के लिए रॉयल्टि अथवा अनिवार्य भाड़ा की अदायगी करने में चूक करने के मामले में 24 *प्रतिशत* वार्षिक की दर पर ब्याज भी उद्ग्राहय है।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2011 तथा फरवरी 2012 के मध्य दो खनन अधिकारियों (शिमला तथा सोलन) के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि 243.2940 हेक्टेयर के पट्टा क्षेत्र के सात पट्टाधारियों ने 2007-08 से 2010-11 के दौरान किसी उत्पाद का निष्कासन नहीं किया। अत: ये पट्टाधारी ₹2.15 लाख के ब्याज सहित ₹8.88 लाख के अनिवार्य भाड़े की अदायगी करने के लिए उत्तरदायी थे। तथापि, एक पट्टाधारी ने उससे वसूल किए जाने वाले ₹3.78 लाख की बजाय ₹1.51 लाख के अनिवार्य भाड़ा की अदायगी की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹7.37 लाख की राशि के ब्याज सहित अनिवार्य भाड़ा की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित करने (अगस्त 2011 तथा मार्च 2012) पर विभाग ने जुलाई 2013 में सूचित किया कि चार पट्टाधारियों[2] से ₹3.72 लाख की राशि की वसूली की जा चुकी थी तथा शेष चूकर्ताओं को अनिवार्य भाड़ा की बकाया राशि जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। वसूली पर आगामी सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2013)।

---

1 अनिवार्य भाड़ा वो भाड़ा है जो सरकार द्वारा खानों के लिए निर्धारित किया गया है बिना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खानें लाभदायक हैं या नहीं और खानों से खनिज निकाले जा रहे हैं या नहीं।

2 मैसर्ज कंवर सिंह: ₹28,907, जगदीश चन्द: ₹7,506 तथा कृष्ण चन्द: ₹1.08 लाख तथा एन0एम0डी0सी0 सोलन ₹2.27 लाख

ग. लोक निर्माण विभाग

7.5 व्यपगत निक्षेपों का सरकारी राजस्व खाते में क्रेडिट न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 के अनुसार ऐसे सभी बकायों जिनकी पूर्ण तीन लेखा वर्षों तक कोई मांग नहीं की जाती उन्हें प्रति वर्ष मार्च की समाप्ती पर अन्तरण प्रविष्टि के माध्यम से सरकारी खाते में जमा करवा दिया जाएगा। नियमों में प्राप्तियों का सीधे व्यय हेतु उपयोग करना भी निषेध है।

लेखापरीक्षा ने मई 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य आठ भवनों तथा सड़क मण्डलों[3] के प्रतिभूति/जमा रजिस्टरों की जांच की तथा पाया गया कि 1998-99 से 2008-09 के दौरान निक्षेपों के संदर्भ में संविदाकारों के बिलों से 1,879 मदों के संदर्भ में कटोती की गई ₹1.08 करोड़[4] की राशि सरकारी खाते में जमा नहीं करवाई गई जैसा की अपेक्षित था। इस प्रकार ₹1.08 करोड़ राजस्व खाते से बाहर रहे जिसके फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की न्यनोक्ति भी हुई।

इसे मई 2012 तथा फरवरी 2013 में इंगित करने पर सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2013) कि 957 मदों की ₹48.98 लाख की राशि का समायोजन किया जा चुका था। वसूली पर आगामी सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2013)।

शिमला
दिनांकः

(सतीश लूम्बा)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांकः

(शशिकांत शर्मा)
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

---

3 चम्बा, देहरा, घुमारवीं, हमीरपुर, जुब्बल, करसोग, कुल्लू-II तथा पधर

4 2006-07: 925 मदें: ₹53.40 लाख; 2007-08: 261 मदें: ₹17.63 लाख तथा 2008-09: 693 मदें: ₹36.65 लाख